

प्रेस नोट
थाना गुरसराय, जनपद झाँसी

दिनांक 08.08.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- अवैध असलहा-कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना गुरसराय पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.08.2025 को शातिर हिस्ट्रीशीटर विककी उर्फ शिवम पुत्र राजू उर्फ राजेन्द्र यादव उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मो० मातवाना कस्बा व थाना गुरसराय जिला झाँसी को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :- विककी उर्फ शिवम पुत्र राजू उर्फ राजेन्द्र यादव उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मो० मातवाना कस्बा व थाना गुरसराय जिला झाँसी

आपराधिक इतिहास :-

1. मु०अ०स० 35/21 धारा 323/504/506 भा०द०वि० थाना गुरसराय
2. मु०अ०सं० 38/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गुरसराय
3. मु०अ०सं० 269/18 धारा 323/504/506/452 भा०द०वि० व 3(1) द/ 3(1)ध एसीएसटी एक्ट थाना गुरसराय
4. मु०अ०सं० 93/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 201/302/307/394 भा०द०वि० थाना पूछ
5. मु०अ०सं० 118/19 धारा 392/411 भा०द०वि० थाना पूछ
6. मु०अ०सं० 168/19 धारा 3(1)गै० एक्ट थाना पूछ

बरामदगी का विवरण :-

1. 01 देशी तमंचा 315 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० श्री बृजेश कुमार भार्गव, थाना गुरसराय जिला झाँसी।
2. का० 839 कृष्ण मुरारी, थाना गुरसराय जिला झाँसी।
3. का० 870 आशीष द्विवेदी, थाना गुरसराय, झाँसी।